

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 494/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 558/2026

Smt. Bano W/o Shafi Mohammad, Aged About 59 Years, R/o-Tange Wali Gali, Telghar Nehru Nagar, P.s. Bhimganjmandi, District Kota City (Raj.) (Appellant Is Confined In Central Jail, Kota)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Samarth Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Rajendra Singh Shekhawat, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

28/04/2026

अपीलार्थी/अभियुक्ता **श्रीमती बानो** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय—विशिष्ट न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 प्रकरण), कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—22/2021, राजस्थान राज्य बनाम **श्रीमती बानो व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **26.02.2026** के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्ता को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी-अभियुक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्ता को एक वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग छह माह होने को है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/अभियुक्ता एक महिला है। प्रकरण में बरामदशुदा मात्रा 1 किलो 225 ग्राम गांजा रही है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपील में अभियुक्ता के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्ता की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **27.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्ता **श्रीमती बानो पत्नी श्री शफी मोहम्मद** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J